

ADITYA BIRLA



संलग्नक - 11

प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1017/23 कोर्ट केस,
दिनांक 11.11.2011 के क्रम में वांछित सूचना/ प्रमाण पत्र


चिन्हित वन स्वरूप संबंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र को वर्ष 1972 में आदेश संख्या 4887(2)/ 14-2-794 /72 दिनांक 2-9-72 द्वारा 6.394 हेक्टेयर वन भूमि, रिहन्द पावर स्टेशन से रेणुकूट प्लांट तक 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण करने हेतु लीज पर आवंटित किया गया था। उक्त वनभूमि का भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/04/2074/2000/एफ.सी./726 दिनांक 06.10.2000 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 774/14-2-2000-749/72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 6.394 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः आगामी 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है ।

उक्त परियोजना में प्रस्तावित 6.394 हे० आरक्षित वनभूमि वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र



Hindalco Industries Limited

P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238